न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 488 सन 2019

अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र अमरसिह जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सावित्री पुत्री अमरसिह पत्नि सागर जाति धानक निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. परमजीत पुत्री विनोद नाबालिग जरिये वली संरक्षक पिता विनोद कुमार पुत्र भजनलाल जाति धानका साकिन चक 3 आर.डब्ल्यू. डी तहसील टिब्बी।
3. महेश पुत्र विनोद कुमार नाबालिग जरिये वली संरक्षक पिता विनोद कुमार पुत्र भजनलाल जाति धानका साकिन चक 3 आर.डब्ल्यू. डी तहसील टिब्बी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 9/9/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की अमरसिह पुत्र गोरखा एवं उसकी पत्नि (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव भतेरी पुत्री अमरसिह कुल 3 वारीस ही है जिसमें भतेरी पुत्री अमरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है जिसमें पुत्र सोनू पुत्र विनोद फोत हो गया है।

रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 5/1 की 10.1170 ,5/2 की 1.3910 , 10/0.8410 , 89/0.3790 ,90/0.9490 कुल 13.3170हैक भूमि अमरसिह पुत्र गोरखा के नाम से दर्ज है जिसमें वादी का 140 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 70 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहन है जो शादी शुदा है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है किन्तु वर्तमान में भूमि प्रतिवाया संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि में वादी का 140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बहिब 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रतिवादीया संख्या 1 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि में प्रतिवादीया का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की उनके दादा अमरसिह माता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

भतेरी एवं एक भाई सोनू का देहान्त हो चुका है इसप्रकार विनोद व भतेरी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है उनके हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है । व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तरदीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अमरसिह पुत्र गोरखा एवं उसकी पत्नि (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव भतेरी पुत्री अमरसिह कुल 3 वारीस ही है जिसमें भतेरी पुत्री अमरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है जिसमें पुत्र सोनू पुत्र विनोद फोत हो गया है।

रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 5/1 की 10.1170 ,5/2 की 1.3910 , 10/0.4810 , 89/0.3790 ,90/0.9490 कुल 13.3170हैक भूमि में 210 हिस्सा अमरसिह पुत्र गोरखा के नाम से दर्ज है जिसमें वादी का 140 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 70 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहन है जो शादी शुद्वा है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है किन्तु वर्तमान में भूमि प्रतिवाया संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि में वादी का 140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बहिब 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 5/1 की 10.1170 ,5/2 की 1.3910 , 10/0.4810 , 89/0.3790 ,90/0.9490 कुल 13.3170हैक भूमि अमरसिह पुत्र गोरखा के नाम से 210 हिस्सा सयुक्त खाता में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

अमरसिह पुत्र गोरखा एवं उसकी पत्नि (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव भतेरी पुत्री अमरसिह कुल 3 वारीस ही है जिसमें भतेरी पुत्री अमरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं सोनु पत्र विनोद कुमार है जिसमें पुत्र सोनू पुत्र विनोद फोत हो गया है इसप्रकार अमरसिह पुत्र गोरखाराम के जायज व जीवित वारिसान वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जिसके सम्बध में वारिसान को किसी प्रकार का ऐतराज नही है ना ही वारिसान के सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज किया गया है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादीया संख्या 1 जो वादी की बहन है जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

उपखण्डअधिकारी एवं सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 5/1 की 10.1170 ,5/2 की 1.3910 , 10/0.4810 , 89/0.3790 ,90/0.9490 कुल 13.3170हैक भूमि अमरसिह पुत्र गोरखा के नाम से 210 हिस्सा सयुक्त खाता में दर्ज है में वादी का 140 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बहिब 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक अमरसिह पुत्र गोरखा का नाम कलमजन किया जाता हइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कृष्णराम पुत्र अमरसिह जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सावित्री पुत्री अमरसिह पत्नि सागर जाति धानक निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. परमजीत पुत्री विनोद नाबालिग जरिये बली संरक्षक पिता विनोद कुमार पुत्र भजनलाल जाति धानका साकिन चक 3 आर.डब्ल्यू. डी तहसील टिब्बी।
3. महेश पुत्र विनोद कुमार नाबालिग जरिये बली संरक्षक पिता विनोद कुमार पुत्र भजनलाल जाति धानका साकिन चक 3 आर.डब्ल्यू. डी तहसील टिब्बी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 488 सन 2019 निर्णय दिनांक– 09/09/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 5/1 की 10.1170 ,5/2 की 1.3910 , 10/0.4810 , 89/0.3790 ,90/0.9490 कुल 13.3170हैव भूमि अमरसिह पुत्र गोरखा के नाम से 210 हिस्सा सयुक्त खाता में दर्ज है में वादी का 140 हिस्सा एवं प्रतिवादी सांख्या 2 ,3 का बहिब 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक अमरसिह पुत्र गोरखा का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/9/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner